न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-127/2016/भीलवाडा (2016/00039)

1. भंवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह भाटी निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सायर कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सीता पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती श्यामु पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. शम्भु सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी महेन्द्रगढ तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. रामसिंह पुत्र रतन सिंह भाटी
6. महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह भाटी
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह भाटी
निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती गीता देवी पत्नी रतन सिंह भाटी निवासी कोशीथल कालाजी बावजी का मोहल्ला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. श्रीमती हेमा कंवर पुत्री रतन सिंह भाटी पत्नी पर्वत सिंह सोलंकी निवासी करेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोंडेंटस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

<u>अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर व पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर दिनांक 11.06.2016 अंतर्गत अपील संख्या 01/2016.</u>

उपस्थितः-

1. श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पो0 1, 2 उपस्थित ।
3. रेस्पो0 सं0 3 से 9 अनुपस्थित।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :- 10.12.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा (अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 से 3 ने अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) के न्यायालय में प्रथम अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 2318 दिनांक 19.11.78 ग्राम कोशीथल, ग्राम पंचायत कोशीथल के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस पर अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित कर नामा0सं0 2318 दिनांक 19.11.78 ग्राम कोशीथल को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, सहाडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि मृतक लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगला उर्फ मंगल सिंह निवासी कोशीथल के वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाडा में लक्ष्मणसिंह आत्म मंगलसिंह भाटी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 2603/1020 रकबा 7 बीघा भूमि एवं कोशीथल मे बैरून हल्का आबादी में लक्ष्मणसिंह, रतनसिंह आत्मल मंगला भी के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी सं0 1027 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 1784/1 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी। जिसमें लक्ष्मणसिंह आत्मज मंगल उर्फ मंगलसिह भाटी का 1/2 हिस्सा निहित था। खातेदार लक्ष्मणसिंह का स्वर्गवास तदुपरान्त उनकी विरासत का नामा0सं0 2318 दिनांक 19.11.78 ग्राम पंचायत कोशीथल द्वारा उनके पुत्र मौजूदा अपीलांट एवं अप्रार्थी सं0 4 के नाम खोला गया। नामा0सं0 2318 दिनांक 19.11.78 से व्यथित हो कर रेस्पो0सं0 1 से 3 द्वारा एक अवधि बाधित अपील अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) के समक्ष वर्ष 2015 में करीब 37 वर्ष बाद प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तौर पर विपक्षीगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि विपरीत तौर पर विपक्षीगण की अपील स्वीकार नामा0सं0 2318 दिनांक 19.11.78 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः विचारण तहसीलदार,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

गंगापुर को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

4- अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 प्रस्तुत अपील में रेस्पो0सं0 3 (रतनसिंह) को देहान्त दिनांक 19.06.14 को हो गया था जबकि अपील संख्या 01/2015 दिनांक 24.03.15 को पेश की गई। यह अपील मृतक के विरूद्ध पेश की गई, यह सेटल प्रिन्सिपल है कि मृतक के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं हो सकती तथा मृतक के पक्ष/विपक्ष में कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। यदि मृतक के पक्ष/विपक्ष में कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह प्रभावहीन व शून्य है। अधी0 न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.16 में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के कन्डोन किये जाने के कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किये है। अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में प्रकरण को रिमाण्ड किया जबकि प्रकरण का निर्णय मेरिट पर किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) के आदेश दिनांक 11.06.16 को निरस्त किया जावें। xx

5- अभिभाषक अपीलांट की उक्त बहस के क्रम में रेस्पोडेंट सं0 1, 2 के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधी0न्याया0 (सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा) ने अपने आदेश दिनांक 11.06.16 में नामा0सं0 2318 दिनांक 19.11.78 ग्राम कोशीथल को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, सहाडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया। वह नियमानुसार एवं विधिसम्मत है क्योंकि 37 वर्ष पश्चात भी किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकार खत्म नहीं हो जाते है। विद्वान अभि0अपी0 ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1993 P-93 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। उत्तराधिकार में कोई मियाद लागू नहीं होती है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के बारे में अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अभिलिखित किया है कि रेस्पो0सं0 1 व 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। अतः जवाब का अवसर बंद किया जाकर अपील में वर्णित देरी के कारण को ध्यान में रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। रेस्पो0 अभि0 ने आगे कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 से 3 अधी0न्याया0 में प्रस्तुत सजरे अनुसार मृतक खातेदार लक्ष्मणसिंह की पत्नी एवं जायन्दा पुत्रियां होने से उक्त आराजीयात में उनका हिस्सा बनता है। xx

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

6- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपी0 अभि0 के कथन कि अधी0न्याया0 प्रस्तुत अपील में रेस्पो0सं0 3 (रतनसिंह) का देहान्त दिनांक 19.06.14 को हो गया था जबकि अपील संख्या 01/2015 दिनांक 24.03.15 को पेश की गई के संबंध में निवेदन किया कि वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 से 3 अधी0न्याया0 में अपील में रेस्पो0 सं0 (रतनसिंह) का देहान्त होने की सूचना दी गई, जिसे अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में मृतक रतनसिंह का नाम डिलीट करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपील में मृतक रतनसिंह तरतीबी पक्षकार थे, इनके विरूद्ध कोई आदेश या अनुतोष नहीं चाहा गया

Scanned by CamScanner

था। अपीलांट द्वारा यह आपत्ति अधी0न्याया0 में नहीं की गई थी, अब द्वितीय अपील में यह तर्क नहीं दे सकते है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.16 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 से 4 मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। रेस्पो0 सं0 1 से 3 मृतक खातेदार लक्ष्मणसिंह की पत्नी एवं जायन्दा पुत्रियां होने से उक्त आराजीयात में उनका हिस्सा बनता है। अधी0न्याया0 द्वारा मृतक लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगला उर्फ मंगलसिंह निवासी कोशीथल के वारिसान की जांच कर नये सिरे से निर्णित पारित करने हेतु प्रकरण पुनः तहसीलदार, सहाडा को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें उत्तराधिकार बाबत जांच कर निर्णय किया जाना है, जो न्यायोचित है। इसलिए अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा के निर्णय को निरस्त करना उचित नहीं समझते है। xx

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 127/2016 (2016/00039) बउनवानी भंवरसिंह बनाम सायर कंवर व अन्य को खारिज किया जाता है तथा सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 1/2015 बउनवान सायर कंवर व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.16 11:27:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: